

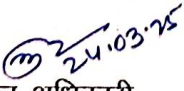
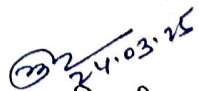
आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक सं०— से

जिला — गिरिडीह, अंचल — धनवार, विविध वाद सं०— 52/सन-2024— 25

केस का प्रकार — विविध वाद

आदेश का क० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के वारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
24.03.2025	<u>—आदेश:—</u> यह विविध वाद अभिलेख सं०— 52/2024— 25 आवेदिका मो० पार्वती देवी, पति रामेश्वर अग्रवाल, साकिन— पचरुखी, थाना— धनवार, जिला— गिरिडीह के द्वारा दिए गए आवेदन के आलोक में अंचल निरीक्षक, धनवार के माध्यम से राजस्व उपनिरीक्षक हल्का सं०— 08, श्री राहुल कुमार वर्मा के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के आधार पर संधारित किया गया है। जाँच प्रतिवेदन अनुसार अंचल धनवार अन्तर्गत मौजा— पचरुखी, थाना नं०— 181 के ऑनलाईन पंजी— II के भाग सं०— VI, पृष्ठ सं०— 332 पर 1. गोपाल पाण्डेय, पिता— नारायण पाण्डेय 2. पार्वती देवी, पति— रामेश्वर अग्रवाल के नाम से दोहरा जमाबंदी दर्ज है। उक्त जमाबंदी में से पार्वती देवी, पति— रामेश्वर अग्रवाल का नाम उक्त ऑनलाईन पंजी— II के भाग सं०— VI पृष्ठ सं०— 332 से हटा कर भौतिक पंजी— II के अनुरूप मौजा— पचरुखी/181 के ऑनलाईन पंजी— II के भाग सं०— VI, पृष्ठ सं०— 333 पर जमाबंदी कायम करने की अनुशंसा की गई है। जाँच प्रतिवेदन तथा अनुशंसा के आलोक में मौजा— पचरुखी/181 के ऑनलाईन पंजी— II के भाग सं०— VI पृष्ठ सं०— 332 में कायम जमाबंदी में से पार्वती देवी, पति— रामेश्वर अग्रवाल का नाम हटाने एवं हटाए गए जमाबंदी रैयत का भाग सं०— VI, पृष्ठ सं०— 333 पर ऑनलाईन पंजी— II में जमाबंदी कायम करने के निमित्त आम इस्तेहार निर्गत कर आपत्ति की मांग की गई। निर्धारित तिथि तक किसी के द्वारा कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। जाँच प्रतिवेदन, उपलब्ध राजस्व अभिलेख तथा आम इस्तेहार के उपरान्त कोई आपत्ति अप्राप्त रहने की स्थिति में अंचल धनवार अन्तर्गत मौजा— पचरुखी/181 के ऑनलाईन पंजी— II के भाग सं०— VI पृष्ठ सं०— 332 में कायम जमाबंदी में से पार्वती देवी, पति— रामेश्वर अग्रवाल का नाम हटाने एवं हटाए गए जमाबंदी रैयत का भाग सं०— VI, पृष्ठ सं०— 333 पर ऑनलाईन पंजी— II में जमाबंदी कायम करने का आदेश दिया जाता है। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक, हल्का सं०— 08 एवं अंचल निरीक्षक, धनवार को उपरोक्त आदेश का अनुपालन कर अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित।  अंचल अधिकारी, धनवार।  अंचल अधिकारी, धनवार।	